

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बलित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : चूकीवरीटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3598

दिनांक: 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में
परिवियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक
(30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : शिवम महाविद्यालय, पोरसा, मुरैना

मनोनीत सदस्य : 1. श्री अशोक शर्मा, सदस्य, कार्यपरिषद्
2. डॉ. रेतु जैन, आचार्य, गणित अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, शिवम महाविद्यालय, पोरसा, मुरैना की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक तुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यावहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा सकती अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पञ्च व्यावहार हुआ हो तो पञ्च क्रमांक एवं दिवांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविष्या हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरध्वाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4490

दिनांक: २०/०५/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध शिवम् महाविद्यालय, पोरसा, जिला - मुरैना (98262-35146) को सन्न 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. तृतीय वर्ष (आ.पा., हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र), बी.कॉम. प्लेन तृतीय वर्ष एवं बी.एस.-सी. द्वितीय वर्ष (आ.पा., गणित, भौतिकी, रसायन, जब्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442829)
- (2) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) प्रो. ओ.पी. बुधौलिया, आचार्य, शासकीय के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।
- (4) प्रो. आर.सी. उपाध्याय, आचार्य, शासकीय के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा विछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रभाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से नियेदन है कि वे उक्त विधिवित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देई के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बर्ही कराता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को टण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वांगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विभा छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राकावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को बी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधिवित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
- कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सापेक्षा हो।



ग्राम : शूरीरिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(निवासिय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : <http://www.jiawaji.edu/>

प्रेषक :
कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बन्धता/2012/५०५८

दिनांक : ५. ६. १२

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02 मई, 2012 के पद क्रमांक (05) के निर्यातानुसार शिवम् महाविद्यालय, पोरसा, जिला - मुरैना को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. तृतीय वर्ष (आ.पा., हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र), बी.कॉम. प्लेब तृतीय वर्ष एवं बी.एस.-टी. ड्विनीय वर्ष (आ.पा., गणित, भौतिकी, रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाइ सम्बन्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. 25 हजार रु. की पुस्तकों क्रय की जावे।
2. प्रयोगशाला हेतु 25 हजार रु. के उपकरण क्रय किये जावे।
3. शासी निकाय की बैठकों नियमित आयोजित की जावे।
4. वर्तमान में प्राचार्य सहित कुल 06 नियुक्तियां 28(17) के अन्तर्गत की गई हैं। प्रत्येक विषय में दो-दो नियुक्तियां की जावे। (28(17) के अन्तर्गत)
5. ग्रन्थपाल एवं क्रीड़ाधिकारी की नियुक्ति भी 28(17) के अन्तर्गत की जावे।
6. परिनियम 28 का पालन सुनिश्चित किया जावे।

आदेशानुसार

कुलसंचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, शिवम् महाविद्यालय, पोरसा, जिला - मुरैना
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-बंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसंचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु।

उपकुलसंचिव (सम्बन्धता)